

‘ अगर हमें पंद्रह सीटों से भी कम सीटें दीं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? ’

पूर्व मु.मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए को साथ में यह भी विश्वास दिलाया कि वे फिर भी एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अंदर परेशानी के संकेत दिख रहे हैं। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को कम से कम 15 सीटें नहीं दी गईं तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी।
तथापि, पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन में ही बनी रहेगी। बताया जा रहा है कि भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने मांझी से बात कर उन्हें शांत करने की कोशिश की है।
मांझी ने कहा, “हम एनडीए नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमें इतनी सीटें तो चाहिए कि हमारी पार्टी को पहचान मिल सके। अगर हमें प्रस्तावित सीटें नहीं दी गईं, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम एनडीए का समर्थन करेंगे, लेकिन चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, बस हमारी पार्टी को मान्यता मिलनी चाहिए।”
अगले महीने होने वाले बिहार चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगियों

- **मांझी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया है कि इतनी कम सीटें मिलती हैं तो वो और पार्टी अपमानित महसूस करते हैं।**
- **मांझी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के काव्य ग्रंथ रश्मिरथी की निम्न पंक्तियाँ प्रस्तुत कीं, अपनी व्यथा उजागर करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध टालने की दृष्टि से अंतिम प्रयास में कौरवों से कहा था-**
“हो न्याय अगर तो आधा दो
यदि उसमें भी कोई बाधा हो
तो दे दो केवल पंद्रह ग्राम
रखो अपनी धरती तमाम
हम वहीं खुशी से खाएंगे
परिजन पर असि न उठायेंगे”
दिनकर ने पांडवों के लिए पाँच ग्राम मांगे थे, मांझी ने परिवर्तन करके पंद्रह ग्राम की बात कही है।

ने अभी तक सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के अनुसार, जेडीयू और भाजपा 243 सीटों में से

लगभग 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) को लगभग 24

सीटें, मांझी की पार्टी को 10 और उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी को करीब छह सीटें दी जा सकती हैं। मांझी के अलावा, चिराग पासवान भी इस सीट-संख्या से खुश नहीं हैं और कम से कम 40 सीटों की मांग कर रहे हैं।
इससे पहले, बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर अपनी मांग का संकेत देते हुए, मांझी ने कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता रश्मिरथी की पंक्तियों में बदलाव करते हुए कहा कि उन्हें “15 गाँव” यानी 15 सीटें चाहिए।
आज सुबह एक्स पर एक पोस्ट में मांझी ने दिनकर की कविता की पंक्तियों कुछ इस तरह लिखी- “हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रक्खो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खायेंगे, परिजन पे असि न उठायेंगे।” इन पंक्तियों का अर्थ है- “हमें सिर्फ 15 गाँव दे दो, बाकी सब रख लो। हम खुश रहेंगे और अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे।”
मूल कविता में दिनकर ने पाँच पाण्डवों के लिये “5 ग्राम,” यानी पाँच गाँव लिखे थे। मांझी ने इसे बदलकर ‘15’ कर दिया।

कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को अंता से प्रत्याशी बनाया

जयपुर, 08 अक्टूबर। राजस्थान में आगामी 11 नवंबर को होने वाले बारां जिले में अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की बुधवार को घोषणा कर दी और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को चुनाव मैदान में उतारा है।

कांग्रेस के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने उम्मीदवार की घोषणा का पत्र जारी करते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के रूप में

- **कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने विधानसभा उपचुनाव के लिए उनके नाम की घोषणा की।**

भाया के नाम को मंजूरी दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा ने भाया को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाये जाने पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि जनसेवा के प्रति उनके समर्पण एवं आमजन के मुद्दों को ताकत देने के लिए जनता उन्हें भरपूर आशीर्वाद देगी और कांग्रेस को विजयी बनायेगी।
उल्लेखनीय है कि अंता से पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गये कंवरलाल मीणा को एक मामले में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराने के बाद उन्हें विधायक पद से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जैसे-जैसे चुनाव की तिथियाँ नज़दीक आ रही हैं बंगाल में चुनावी हिंसा भी बढ़ रही है

नवीनतम उदाहरण हैं, भाजपा सांसद खगेन मुर्मू, जो उत्तरी बंगाल के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे थे, उनके साथ भारी मारपीट हुई, प्रतिद्वंद्वी टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। जैसे-जैसे चुनावी मौसम करीब आ रहा है, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का स्तर भी बढ़ता जा रहा है।
नवीनतम घटना के अन्तर्गत, सत्तारूढ़ दल के गुंडों ने उत्तर बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे वरिष्ठ भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। हथियारबंद लोगों ने उनके छोटे से कारफिले पर धावा बोला और उनकी कार तोड़ डाली।

टीएमसी के लोगों ने मुर्मू को पहचान लिया और उन पर हमला कर दिया, जिससे वे लहलुहान हो गए। उनके चेहरे पर चोटें आईं और बाएं गाल पर कई जख्म हुए। बताया गया कि उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उन्हें दूसरी गाड़ी से स्थानीय अस्पताल ले जाया गया।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने मुर्मू के कारफिले पर

- **ममता बनर्जी ने घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों ने मुर्मू के साथ मारपीट इसलिए की, क्योंकि उनके दौरे के कारण राहत सामग्री के वितरण में बाधा पहुँची थी।**
- **पर, जानकार सूत्रों का कहना है कि चुनावी सरगर्मी बढ़ने से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चरम पर पहुँच गई है और राजनीतिक दल एक दूसरे के क्षेत्र में गंभीरता से घुसपैठ करने लगे हैं, जो कालांतर में और तीव्र होगी।**

हमला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बाढ़ राहत कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। बाद में मीडिया से बात करते हुए खगेन मुर्मू ने कहा कि यह हमला पहले से सोची-समझी साजिश के तहत किया गया था, ताकि उन्हें बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने से रोका जा सके। वे इन क्षेत्रों की हालत देखने और राहत सामग्री का प्रबंध करने के लिए गए थे।
तथापि, टीएमसी नेताओं का कहना है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में बहुत सारे नेताओं के आने से बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री समय पर नहीं पहुँच पा रही। उनका कहना है

कि ये नेता बड़े-बड़े कार्फिलों के साथ जा रहे हैं, जिससे राहत कार्य बाधित हो रहे हैं।
तथापि, जानकार लोगों का मानना है कि राज्य विधानसभा चुनावों की जंग अब वास्तव में शुरू हो चुकी है। दोनों मुख्य दल विभिन्न इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं। राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि टीएमसी, भाजपा नेताओं पर अपना गुस्सा निकाल रही है, क्योंकि भाजपा ने त्रिपुरा में टीएमसी के दफ्तर पर हमला कर उसे लगभग नष्ट कर दिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कितागावा, रॉबसन व याघी को रसायन का नोबेल पुरस्कार घोषित

“मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क” के विकास क्षेत्र उल्लेखनीय कार्य के लिए उनका चयन हुआ है

स्टॉकहोम, 08 अक्टूबर। रसायन विज्ञान का वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार जापान के सुसुमू कितागावा, आस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के उमर एम याघी को दिया जायेगा।

नोबेल पुरस्कार समिति ने बुधवार को यहां यह घोषणा की। समिति ने बताया कि इस साल का यह प्रतिष्ठित सम्मान क्योटो यूनिवर्सिटी जापान के वैज्ञानिक सुसुमू कितागावा, मेलबर्न विश्वविद्यालय आस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और बर्कले कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के उमर एम याघी को दिया जाएगा।

यह पुरस्कार “मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क” के विकास क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार समिति के अनुसार, इन वैज्ञानिकों ने बड़े अंतराल वाले आणविक ढांचे बनाने में सफलता हासिल की। इनमें गैसों और अन्य

- **इन धातु-कार्बनिक ढांचों का उपयोग रेगिस्तान में हवा से पानी इकट्ठा करने, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने, विषाक्त गैसों को संग्रहित करने तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है।**

रसायन प्रवाहित हो सकते हैं।
इन धातु-कार्बनिक ढांचों का उपयोग रेगिस्तान में हवा से पानी इकट्ठा करने, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने, विषाक्त गैसों को संग्रहित करने तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि धातु-कार्बनिक ढांचों के विकास के माध्यम से, पुरस्कार विजेताओं ने वैज्ञानिकों को हमारे सामने आने वाली कुछ चुनौतियों का समाधान करने के नए अवसर प्रदान किए हैं।
पिछले कुछ दशकों में धातु-कार्बनिक ढांचों के क्षेत्र का तेजी से

विस्तार हुआ है। इनके बारे में जानकारी पहले से थी, लेकिन ऐसी संरचनाओं को पूर्वानुमानित रूप से डिज़ाइन और संश्लेषित करने की क्षमता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

यह विस्तार काफी हद तक सुसुमू कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम. याघी के मौलिक कार्यों शोध के कारण हुआ।

इन्होंने इस विकास को बढ़ावा देने वाले कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन योगदानों में न केवल विभिन्न संरचनाओं और अनुप्रयोगों के कई प्रभावशाली उदाहरण शामिल हैं, बल्कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बार-बार अपील करने पर सरकार पर जुर्माना लगा

जयपुर, 8 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी को पे-स्केल देने का विवाद तय हो जाने के बाद, राज्य सरकार की ओर से वापस अपील दायर

- **हाई कोर्ट ने कहा कि सन् 2023 में आदेश जारी हो चुके हैं, पर विभाग की ओर से बार-बार अपील क्यों लगाई जा रही है।**

करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही, अदालत ने उच्च शिक्षा विभाग पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए अपील को खारिज कर दिया है। जस्टिस अवनीश श्रिंगान और जस्टिस बीएस संधू ने ये आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि मामले में साल 2013 में ही आदेश जारी हो चुके हैं और उसकी अपील भी अदालत खारिज कर चुकी है। ऐसे में विभाग की ओर से बार-बार अपील क्यों लगाई जा रही है। मामले से जुड़े अधिवक्ता तरुण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशांत किशोर, यानी ‘पिके फैक्टर’ ने आम आदमी पार्टी (आप) को बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए प्रेरित किया है।
पहले भी आम आदमी पार्टी ने अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में अपना विस्तार करने की कोशिश की है तथा गोवा, गुजरात और हरियाणा में चुनाव लड़ने के फैसले कर चुकी है। लेकिन दिल्ली में झटका लगने के बाद, पार्टी ने अपनी नीति बदल ली और दिल्ली व पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया।
बिहार के मामले में, आप के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने अपवादस्वरूप राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और पहले चरण में 11 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। हालांकि बिहार में आप की मौजूदगी से इस पूर्वी राज्य के चुनावी समीकरण पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने का फैसला इस

केजरीवाल का यह निर्णय प्रशांत किशोर की पार्टी की सफलता से पैदा हुई असुरक्षा की भावना है

- **दिल्ली में हारने के बाद केजरीवाल ने नीतिगत निर्णय लिया था कि कई राज्यों में पैर पसारने की बजाय वे दिल्ली व पंजाब पर ही फोकस रखेंगे। बिहार में यह निर्णय इस नीति का अपवाद है।**
- **केजरीवाल व प्रशांत किशोर की राजनीतिक गतिविधियों में काफी समानता नज़र आती है। दोनों ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भ्रष्टाचार खत्म करने के नारे से की थी।**
- **शिक्षा, जल, स्वास्थ्य आदि पर सोच, दोनों की करीब-करीब एक सी है।**
- **केजरीवाल को डर लगा कि प्रशांत किशोर यह मंच उनसे छीन लेंगे। चाहे वर्तमान चुनावों में उनकी पार्टी को कोई खास लाभ नहीं मिलेगा, किन्तु अपनी पहचान जीवित रखने के लिए बिहार में सब जगह उम्मीदवार खड़े किये हैं।**

असुरक्षा की भावना से उजजा प्रतीत होता है कि पार्टी के विकास मॉडल को

प्रशांत किशोर की ‘जन सुराज पार्टी’ निगल सकती है।
बीते कुछ महीनों में यह अनिश्चितता बनी हुई थी कि आप बिहार चुनाव लड़ेगी या नहीं, जिसके चलते पिछले महीनों में पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए थे। इसलिए आप का यह फैसला आने वाले समय के लिए अपनी राजनीतिक संभावनाएं जीवित रखने का प्रयास है, न कि इस चुनाव में कोई बड़ा असर डालने की कोशिश।
ऊपरी तौर पर, आप और जन सुराज पार्टी (जेएसपीयूआरए) में कुछ समानताएँ दिखती हैं। दोनों ही पार्टियाँ शासन का एक वैकल्पिक मॉडल पेश कर रही हैं, जो शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार खत्म करने पर केन्द्रित हैं। दोनों ही पार्टियों की सोशल मीडिया पर भी मजबूत मौजूदगी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने विवि रजिस्ट्रार को चेतावनी दी

जयपुर, 8 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को शपथ पत्र पेश कर यह बताने को कहा है कि विवि की ओर से आवंटित आवास को तय अवधि के बाद

- **अदालत ने पूछा कि जिन लोगों ने आवास खाली नहीं किया, उन पर क्या कार्यवाही की गई।**

कितने लोगों ने खाली नहीं किया है। वहीं, ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं या नहीं। यदि इन्हें नोटिस जारी नहीं किए गए तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे मामले में कार्रवाई नहीं की गई है तो जुर्माना राशि के बराबर राशि रजिस्ट्रार के वेतन से वसूल की जाएगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सुभाष राठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई पेपर लीक की सुनवाई 24 नवम्बर को

जयपुर, 8 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 859 पन्नों की एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में दायर अपीलों पर बुधवार को 24 नवंबर तक सुनवाई टाल दी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एजी राजेन्द्र प्रसाद ने खंडपीठ को सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाने के आदेश की

- **ए.जी. राजेन्द्र प्रसाद ने हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के आदेश की जानकारी दी।**

जानकारी दी। जिस पर खंडपीठ ने पक्षकारों से मामले को लेकर अपनी लिखित बहस पेश करने के आदेश देते हुए सुनवाई 24 नवंबर को तय की है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश विक्रम सिंह पंवार व अन्य की अपीलों पर दिया।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

